COLLEGE OF AGRICULTURE
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
BHUSAWAR-BHARATPUR 321406, RAJASTHAN
कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
भुसावर, भरतपुर– 321406 राजस्थान

Dr. M.L. Meena
Dean

+91-9414846306
dean.coabhusawer@sknau.ac.in

क्रमांकःप.( )/कृमविभु/फार्म/2026/441

दिनांकः 29/07/2026

नीलामी – सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर के कलमी बाग में नीबू के 70 पेड़ एवं करोंदा के 55 पेड़ों में फलत है। इन पेड़ों के फलों की नीलामी की जानी है। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक **03.08.2026** को दोपहर **02:00** बजे कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर (कलमी बाग) पर मौके पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। धरोहर राशि जमा कराने वाले बोलीदाता ही नीलामी में भाग ले सकेगें। नीलामी सूचना को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

नीलामी से सम्बन्धित शर्तें एवं कार्य जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्य समय के दौरान प्राप्त कर सकते है।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/...।
4. कृषि महाविद्यालय, भुसावर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5. तहसील कार्यालय व पंचायत समिति भुसावर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
6. रक्षित फाइल

अधिष्ठाता

COLLEGE OF AGRICULTURE
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
BHUSAWAR-BHARATPUR 321406, RAJASTHAN
कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
भुसावर, भरतपुर– 321406 राजस्थान

Dr. M.L. Meena
Dean

+91-9414846306
dean.coabhusawer@sknau.ac.in

क्रमांकःप.( )/कृमविभु/फार्म/2026/४५१ दिनांकः 29/07/2026

नीलामी – सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर, मे नीबू एवं करोंदा फलों की नीलामी की जानी है।

नीलामी स्थानः– कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर (कलमी बाग)
नीलामी की दिनांक :– 03.08.2026 (सोमवार)
समयः– दोपहर 02:00 बजे से।
नीलामी सम्बन्धी शर्तों का विवरणः–

1. प्रत्येक बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. बोलीदाता अपना आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।
1. प्रत्येक बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पहले रूपये 1000/–(अक्षरें रूपये एक हजार मात्र) धरोहर राशि जमा करवानी होगी। जिस बोलीदाता के नाम अंतिम बोली छूटेगी, उस बोलीदाता को नीलामी की सम्पूर्ण राशि 5 दिवस में महाविद्यालय मे जमा करानी होगी एवं कार्य पूर्ण होने पर धरोहर राशि वापिस लोटा दी जायेगी तथा अन्य बोलीदाताओ की धरोहर राशि उसी दिन बोली पूर्ण होने पर लौटा दी जायेगी।
3. नीलामी मे भाग लेने का अधिकार केवल धरोहर राशि जमा करवाने वाले व्यक्तियों का ही होगा। अंतिम बोली को छोडने या नही छोडने की अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
4. जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह अन्य व्यक्ति को ठेका नही दे सकेगा।
5. बोली छूटने के बाद **30.11.2026** तक उपरोक्त उत्पादो पर सफल बोलीदाता का अधिकार होगा।
6. फलों का निरीक्षण बोलीदाता स्वयं फील्ड में जाकर अवश्य कर लें।
7. उपरोक्त उत्पाद को फार्म से बाहर ले जाते समय फार्म मैनेजर से गेटपास लेना जरूरी होगा।
8. प्राकृतिक आपदा (ऑधी, तूफान, बारिश, ओले आदि) की स्थिति होने पर फलोत्पादन में होने वाली मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी की कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. फलों की तुडाई, परिवहन कार्य आदि के दौरान किसी भी श्रमिक का अंग भंग होने, घायल होने या अन्य घटना होने की स्थिति में ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
10. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर नीलामी निरस्त कर सम्बन्धित व्यक्ति की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
11. फलो की तुडाई /बेचान कार्य दिवस एवं कार्यालय समय सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे में फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की देखरेख में करनी होगी।
12. फलों में सिचांई करने, थाला बनाने तथा अन्य रख–रखाव करने की जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी ?
13. प्रशासन की पूर्वानुमति से सुखे एवं अनुत्पादक पौधो को काटा जा सकता है, निविदा के समय ऐसे पौधो को शामिल नही किया गया है, अतः ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजे की मांग नही कर सकता है।
14. नीलामी में फलन (उत्पादन) वाले पौधो को ही शामिल किया गया है।
15. सफल निविदादाताओ को पौधों के थाले बनाना व सिंचाई का कार्य स्वयं के स्तर पर करना होगा तथा इस हेतु महाविद्यालय द्वारा मजदूरी नही दी जायेगी।
16. सफल निविदादाता को बगीचे मे लगने वाले खाद, उर्वरक व पेस्टीसाइड आदि महाविद्यालय द्वारा दिये जायेगें तथा इनको पौधो में देने का कार्य निविदादाता करेगा।
17. सफल निविदादाता को 100/– रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा।
18. महाविद्यालय फार्म पर कॉलेज भवन, हॉस्टल सहित अन्य भवन, फार्म उपकरण तथा अन्य कीमती सामान है, उनकी क्षति व चोरी आदि नुकसान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी नुकसान या क्षति का कमेटी द्वारा तय जुर्माना निविदादाता को देना होगा।
19. फलो की तुडाई/बेचान कार्यालय समय सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की देखरेख में करनी होगी।
20. निविदादाता के मजदूर व स्वंय फार्म पर मंदिरा व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेगे और न ही किसी अन्य को करने देंगा।
21. हर विवादित मामलें में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधिष्ठाता